REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226057 CG-DL-E-24032021-226057

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1202]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943
No. 1202]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

**का.आ. 1299(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
595	167एडी	आंध्र प्रदेश राज्य में दाचेपल्ली के निकट रारा – 167ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गुरजाला, रेंटाचिंततला, पलुवई को जोड़ने वाला और माचेरला के निकट रारा-565 के साथ अपने जंक्शन तक पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

		आंध्र प्रदेश राज्य में कोंडामोडू के निकट रारा – 167ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
596	167एजी	राजूपलेम, रेड्डीगुडेम, सत्तेनपल्ली, मेडीकोंडुरु को जोड़ने वाला और पेरीचेरला के निकट
		रारा-544डी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 1146(अ), दिनांकित 11 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

> [फा.सं. एनएच-14012/3/2021-पी एंड एम(पार्ट)] राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### **NOTIFICATION**

### New Delhi, the 23rd March, 2021

**S.O. 1299(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
595	167AD	The highway starting from its junction with NH -167A near Dachepalli connecting Gurazala, Rentachintala, Paluvai Junction and terminating at its junction with NH-565 near Macherla in the State of Andhra Pradesh.
596	167AG	The highway starting from its junction with NH-167A near Kondamodu connecting Rajupalem, Reddigudem, Sattenapalli, Medikonduru and terminating at its junction with NH -544D near Perecherla in the State of Andhra Pradesh.

#### TABLE

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1146(E), dated 11th March, 2021.

> [F. No. NH-14012/3/2021-P&M(Pt)] RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2